

फा सं. 3.9(23)/2015-एस सी यू
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली- 110069

नई दिल्ली, दिनांक : 06.12.2016

विषय: एक स्टाफ कार के निपटान के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (नि.आ.सू.)

निविदा आमंत्रण सूचना

संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय से संबंधित एक स्टाफ कार के निपटान के लिए नीचे दी गई समय सीमा के अनुसार "जैसा है जहां है, के आधार पर" सीलबन्द बोलियां आमंत्रित की जाती हैं :-

क. वाहन का विवरण

वाहन का मेक	पंजीकरण	मॉडल	अभ्युक्तियां
इन्डिगो	डी एल-2 सीक्यू-2939	2007	ए सी युक्त

ख. समय सीमा

- (i) बोली प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख एवं समय : 30.12.2016 को 3.00 बजे अपराह्न तक ।
- (ii) बोली प्राप्त करने का स्थान : इस कार्यालय के स्वागत कक्ष 'सी' गेट पर रखे गए निविदा बॉक्स में।
- (iii) बोली खोलने की तारीख एवं समय : 30.12.2016 को 3.30 बजे अपराह्न में ।
- (iv) निविदा खोलने का स्थान : कमरा सं. 101, आयोग सचिवालय ।

टिप्पणी:- अंतिम तारीख को अवकाश / बंद दिवस घोषित होने की स्थिति में बोली अगले कार्य दिवस पर नियत समय में प्राप्त / खोली जाएंगी ।

क्रमश : 2/.....

2. बोली दस्तावेज़ और बोली फार्म संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट: www.upsc.gov.in से डाउन लोड किया जा सकता है ।
3. **देरी से प्राप्त बोली:** विनिर्दिष्ट तारीख और समय के बाद प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जाएगा ।
 - 3.1 बोली ऐसे बोलीदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों, जो उपस्थित होना चाहते हैं, की उपस्थिति में यथानिर्दिष्ट तारीख को 3.30 बजे अपराह्न को खोली जाएगी।
4. **जमा धरोहर राशि (ई एम डी)**
 - 4.1 **जमा धरोहर राशि:** बोली के साथ सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली-110069 के पक्ष में देय **5,000/-रु. (पांच हजार रु. मात्र)** की जमा धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर संलग्न किया जाना चाहिए । जमा धरोहर राशि के बिना बोली को और अन्य किसी रूप में अर्थात् चेक, नकद आदि पर विचार नहीं किया जाएगा ।
 - 4.2 जमा धरोहर राशि अंतिम बोली वैधता अवधि से परे 45 दिन की अवधि के लिए वैध रहेगी ।
5. बोली संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए और बोलीदाताओं के नाम, पता और टेलीफोन नं. स्पष्टतया दर्शाए जाने चाहिए ।
6. बोलीदाताओं को अनुबंध-1 के पूर्णतया अनुसार अपनी बिना शर्त दरों को उद्धृत करना चाहिए । कटिंग / ओवर राइटिंग, यदि कोई हो, के लिए प्रति हस्ताक्षर किए जाने चाहिए । निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर प्राधिकृत हस्ताक्षर द्वारा विधिवत मुहर लगानी चाहिए और हस्ताक्षर करने चाहिए ।
7. सशर्त अथवा अस्पष्ट बोलियां अस्वीकार की जा सकती हैं ।

क्रमश : 3/.....

8. वाहन को सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) द्वारा अपनी बोली (बोलियों) को स्वीकार करने के संबंध में इस कार्यालय द्वारा उन्हें जारी पत्र की प्राप्ति की तारीख से 3 दिन के भीतर बोली की धनराशि के जमा कराने के बाद "जैसा है जहां है, के आधार पर" हटाया जाएगा । इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा ।
9. सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) को उनके वाहन (वाहनों) बेचे जाने से पहले वैयक्तिक बोलीदाता के मामले में राशन कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र या आधार आदि की प्रति और फर्म / कंपनी के सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) के होने पर फर्म / कंपनी के पंजीकरण की प्रति के माध्यम से अपनी पहचान सिद्ध करनी होगी ।
10. वाहन का निरीक्षण सं.लो.से.आ. के कार्य दिवसों के दौरान दिनांक 19.12.2016 से 23.12.2016 तक 3.00 बजे अपराह्न से 4.30 बजे अपराह्न तक श्री अनिल कुमार, अवर सचिव (दूरभाष 23388418) से संपर्क कर किया जा सकता है ।
11. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पास बिना कारण बताए किसी बोली को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है । इस संबंध में सचिव, सं. लो. से. आ. का निर्णय अंतिम एवं फर्म पर बाध्यकारी होगा ।

(अनिल कुमार)

अवर सचिव

संघ लोक सेवा आयोग

अनुबंध - I

संघ लोक सेवा आयोग के पुरानी वाहन की खरीद के लिए बोलियां प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र ।

1. बोलीदाता का नाम और पता

.....

.....

.....

2. टेलीफोन नं.

(आवास)

(कार्यालय).....

(मोबाइल).....

3. वाहन सं. डी एल- 2सी क्यू - 2939 (इन्डिगो) के लिए बोली

.....रु. (

अंकों में)

.....रु.

(शब्दों में)

4. जमा धरोहर राशि का ब्यौरा :

बैंक ड्राफ्ट / पे आर्डर सं.दिनांक

.....धनराशि.....

(मुहर सहित बोलीदाता के हस्ताक्षर)